परिपत्र

एनएचबी(एनडी)/एचएफसी(डीआरएस)रेपो/1264 /2003

23 अप्रैल, 2003

राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत सभी आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

विषय : सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार)

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से घोषित वर्ष 2001-2003 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति के मध्यावधि पुनरीक्षण में, जिसमें हुंडी (गिल्ट) धारकों के चयनित वर्गो के लिए तैयार वायदा (रेपो) अनुबंधों की ग्राह्यता बढ़ाने का प्रस्ताव, सुपुर्दगी बनाम भुगतान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय के साथ सूचित किया गया था । इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक ने, आवश्यक अधिसूचना सं.एसओ.131(ई) दिनांकित 22 जनवरी, 2003 जारी की है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन (संव्यहार) में प्रवेश करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों सहित सीएसजीएल (गिल्ट) खाता धारकों के चयनित वर्ग के लिए ग्राह्यता बढ़ा दी है ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की उपर्युक्त नीति के अनुसरण मे, राष्ट्रीय आवास बैंक, उन सभी आवास वित्त कंपनियों, जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत हैं, को एतद्द्वारा नीचे विहित नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन 10 मार्च, 2003 से सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) में प्रवेश करने की अनुज्ञा देता है ।

ग्राह्यता

क. तैयार वायदा अनुबंध केवल i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों और ii) राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में किए जा सकते हैं ।

ख. उपर्युक्त प्रतिभूतियों में तैयार वायदा अनुबंध ऐसी किसी भी आवास वित्त कंपनी द्वारा किया जा सकता है जिसके पास राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से जारी पंजीकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र है, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई के साथ सहायक प्रधान खाता-बही (एसजीएल) लेखा रख रही है अथवा किसी बैंक के साथ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय, मुम्बई में ग्राहक सहायक प्रधान बही खाता (सीएसजीएल लेखा) रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/रा.आ.बैंक द्वारा अनुज्ञप्त किसी अन्य अस्तित्व (अर्थात् अभिरक्षक) के साथ (अर्थात् गिल्ट खाता धारकों के) गिल्ट खाता रखती हैं ।

प्रतिबंध

ग. उपर्युक्त ’ख’ पर विनिर्दिष्ट अस्तित्व निम्नलिखित प्रतिबंधों के अध्यधीन तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) में कर सकते हैं :-

(i) कोई भी सहायक प्रधान बही खाता (एसजीएल) धारक स्वयं अपने ग्राहक के साथ किसी तैयार वायदा अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है । अर्थात् तैयार वायदा लेनदेन किसी अभिरक्षक और उसके गिल्ट खाता धारक के बीच नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) उसी अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक) के साथ गिल्ट खाता रखने वाले कोई भी दो गिल्ट खाता धारक एक दूसरे के साथ तैयार वायदा लेनदेन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और

(iii) आवास वित्त कंपनियां सहकारी बैंकों के साथ तैयार वायदा लेनदेन नहीं कर सकती हैं ।

अन्य अपेक्षाएं

घ. सभी तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) पर क्राम्य व्यापार प्रणाली (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) को प्रतिवेदित किए जाएंगे । गिल्ट खाता धारकों से संबद्ध तैयार वायदा लेनदेन के संबंध में अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक), जिसके साथ गिल्ट खाते रखे जाते हैं, ग्राहकों (अर्थात् गिल्ट खाता धारकों) की ओर से एनडीएस पर सौदा (डील) प्रतिवेदित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

ङ सभी तैयार वायदा अनुबंध भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में चल रहे एसजीएल खाता/सीएसजीएल खाता के माध्यम से, ऐसे सभी तैयार वायदा लेनदेन के लिए केन्द्रीय पटल (सेंट्रल काउंटर) के रूप में कृत्य कर रहे भारतीय क्लियरिंग कॉरपोरेशन लि. (सीसीआईएल) के साथ परिनिर्धारित किए जाएंगे ।

च. अभिरक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और समवर्ती लेखापरीक्षा की एक प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए कि (i) तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) केवल हुंडी लेखा (गिल्ट एकाउंट) में प्रतिभूतियों के स्पष्ट शेष के लिए किए जाते हैं, (ii) ऐसे सभी लेनदेन एनडीएस पर तत्परता से अभिलिखित किए जाने चाहिएं और (iii) ऊपर निर्दिष्ट अन्य नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाता है ।

छ. तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) केवल आस्तियों के विहित न्यूनतम प्रतिशत से अधिक धारित प्रतिभूतियों में किया जा सकता है, जैसा कि (अधिसूचना सं.एनएचबी/एचएफसी/एलए1/सीएमडी-2001 दिनांकित 27 सितम्बर, 2001 के साथ पठित) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

ज. कोई भी विक्रय संबंधी लेनदेन किसी तैयार वायदा लेनदेन (संव्यवहार) के प्रथम चरण में प्रतिभूतियों के किसी विक्रेता द्वारा सूचियों में वास्तविक रूप से धारित प्रतिभूतियों के बिना नहीं किया जाएगा ।

झ. तैयार वायदा अनुबंधों के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियां अनुबंध की अवधि में नहीं बेची जाएंगी ।

4. उपर्युक्त नियम एवं शर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.एसओ.131(ई)दिनांकित 22 जनवरी, 2003 के अनुच्छेद (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू सुसंगत नियम एवं शर्ते हैं ।

5. कृपया पावती दें ।

भवदीय,

ह./-
(आर.भल्ला)
उप महाप्रबंधक